

No. डी०-पांच /543/जी/ 3602

वन विभाग हिमाचल प्रदेश

दिनांक, चम्बा 9/9/2021 /

प्रेषक : मुख्य अरण्यपाल, चम्बा

प्रेषित : नोडल अधिकारी एवं अति० मु० अरण्यपाल  
(FCA), हि० प्र०, शिमला।

**Subject: Diversion of 2.23 ha. of forest land in favour of HPPWD for construction of link road from Kandla to Bangati (Km 0/0 to 3/725) within the jurisdiction of Chamba Forest Division.**

ज्ञापन:

भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय शिमला के पत्र. संख्या 8B/HP/06/11/2021/FC/112 दिनांक 18.08.2021 के सन्दर्भ में।

प्रयोक्ता अभिकरण व वन मंडलाधिकारी चम्बा द्वारा माँगा गया उत्तर सम्बंधित दस्तावेज सहित इस कार्यलय में प्राप्त हो चुका है, जिसका क्रमवार उत्तर इस प्रकार है :-

1. वन मंडलाधिकारी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि विभाग द्वारा जो कुल 1.71 हेक्टेयर broken क्षेत्र दिखाया गया है, उसमें 0.27 हेक्टेयर broken area निजी भूमि पर है, तथा 1.44 हेक्टेयर broken area वन भूमि पर है। ( वन भूमि पर broken area का विवरण सम्बंधित प्रयोक्ता अभिकरण व वन मंडलाधिकारी चम्बा द्वारा हस्ताक्षरित साथ सलंगन है )। इसलिए PANEL NPV की गणना भी वन भूमि पर broken area 1.44 हेक्टेयर के लिए बनाई गयी है।
2. मुख्य अरण्यपाल (क्षेत्रीय) चम्बा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट द्वारा वन भूमि में broken area 1.44 हेक्टेयर दर्शाया गया है, जो की पूर्णतय सही है।

सलंगन : उपरोक्त:

*अरुण*  
मुख्य अरण्यपाल  
चम्बा वन वृत, चम्बा 09/09/21

प्रतिलिपि संख्या : डी०-पांच /543/जी/ 3603 दिनांक 9/9/2021

प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी चम्बा को उनके पत्र संख्या 2881 दिनांक 04.09.2021 के सन्दर्भ में प्रेषित है।

*अरुण*  
मुख्य अरण्यपाल  
चम्बा वन वृत, चम्बा 09/09/21